

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- — /XXXVI(1)/2018-184/2001 T.C.
देहरादून दिनांक: 15 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं०-39 सन् 1897) की धारा-6 के साथ पठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 3 के अधीन श्री राज्यपाल, मा० कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम -3(2) (xii) के अधीन नामित सदस्य

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर।

नियम -3(3) के अधीन नामित सदस्य

1. श्री डी०के० शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. प्रोफेसर (डॉ०) एस०डी० शर्मा, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा।
3. कु० जया मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नं०-4, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।
4. श्री राजेश रस्तोगी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, हरिद्वार।
5. कु० लता राणा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या- — (1)/XXXVI(1)/2018-184/2001 T.C. तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आसाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सयन सिंह)
अपर सचिव

संख्या- 294(2)/XXXVI(1)/2018-184/2001 T.C. तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
3. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित सदस्यगण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सयन सिंह)
अपर सचिव